

31/1/24

वकील प्रार्थी उषा। बहस हेतु पुनः खसना  
पत्रावली प्रकृतिक खसना दिनांक 02/06/22 को पत्रावली  
दिनांक 02/06/22 को पेश हो

24/1/24 पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक संघ ने  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 02/06/22 को पेश हो

प्रा० पत्र संख्या:- 772/2023  
उनवान गोकुल बनाम भूमिधारी


5/3/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तामील सम्  
रूप से हो चुकी है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं.  
के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्र  
सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरा  
करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 699, 700 क  
किता 02 कुल रकबा 4.52 हैक्ट. ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्द  
तहसील नीमकाथाना के प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि  
तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से 02.06.2022 को सीमाज्ञान करवा  
गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिच  
का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुता  
राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहस  
नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 699, 700 कुल किता 02 कुल रकबा 4  
हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान  
सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया ज  
न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये ज  
योग्य है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कि  
जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व  
गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि ख  
नं. 699, 700 कुल किता 02 कुल रकबा 4.52 हैक्ट. का प्रार्थी व प  
खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमा  
दिनांक 02.06.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार  
कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसील  
नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फौसली न  
से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
राजवीर सिंह  
अधिक

